न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 16/2018/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 25.10.2018
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. शोभा रानी पुत्र स्व0 दशरथ सिंह नाबालिग
2. रामचन्द्रसिंह उर्फ रामचन्द्र पुत्र स्व0 दशरथ सिंह नाबालिग जरिये वली दादा शिवराज पुत्र कल्याण सिंह
3. शिवराज आ0 कल्याण सिंह जाति राजपूत
   निवासीगण ग्राम बक्षपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा –राज0।

...अपीलाट्स

बनाम

1. रवि सिंह पुत्र स्व0 दशरथ सिंह नाबालिग
2. टम्मा कंवर पुत्री स्व0 दशरथ सिंह नाबालिग
3. रम्मा कंवर पुत्र स्व0 दशरथ सिंह नाबालिग
   जरिये वली माता श्रीमती स्वरूपकंवर पत्नी स्व0 दशरथ सिंह
4. श्रीमती स्वरूप कंवर पत्नी स्व0 दशरथ सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बक्षपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0।
5. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

...रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी

निर्णय

दिनांक 7.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण संख्या–2/2013 उनवान शोभारानी वगैरह बनाम रविसिंह आदि मे पारित निर्णय दिनांक 23.3.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा घाटोली के ख0 नं0 1167, 1168 कुल किता 2 रकबा 2.38 है0 भूमि का दशरथ सिंह के फौत होने उपरांत रेस्पो0 क्रम 1 ता 4 के पक्ष मे ग्राम पंचायत घाटोली द्वारा खोले गये नामा0 सं 1171 दिनों 20.7.2011 से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त इन्तकाल विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई। अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 23.3.2015 से खारिज किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, न्याय एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर अथवा अतिरिक्त साक्ष्य लेकर प्रकरण का अन्तिम तौर निस्तारण करना चाहिये था।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि उक्त विवादित आराजी अपीलांट नं0 1 व 2 के पिता व अपीलांट नं0 3 के पुत्र स्व0 दशरथ सिंह हिस्सा 1/3 व बालचन्द लटूरलाल, माणकचंद 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी। दशरथ सिंह ने अपने जीवनकाल मे दो शादिया की थी प्रथम पत्नि विष्णुकंवर से अपीलांट नं0 1 व 2 पैदा हुये जो नाबालिग है। विष्णुकंवर के स्वर्गवास होने उपरांत दूसरा विवाह रेस्पो0 नं0 4 से किया जिससे रेस्पो0 नं0 1 ता 3 पैदा हुये जो भी नाबालिग है। दशरथ सिंह के अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पो0 कम 1 ता 4 वैध वारिसान व उत्तराधिकारी है किन्तु इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत घाटोली ने केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 ता 4 के पक्ष मे मृतक दशरथसिंह का इंतकाल तस्दीक किया जो गलत है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त नही कर उक्त नामा0 को निरस्त करने का आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर पर गौर नही किया कि दशरथसिंह की मृत्यु के बाद विवादित भूमि पर दशरथसिंह के पिता अपीलांट नं0 3 का कब्जा अपीलार्थीगण व रेस्पो0 1 लगायत 4 की ओर से चला आ रहा है अपीलांट कम 1 व 2 नाबालिग है जो दशरथ सिंह के वारिस व उत्तराधिकारी है उनके पक्ष मे नामान्तरकरण तस्दीक नही किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड न कर त्रुटि की है। अपीलांट ने दशरथ सिंह के वारिस व उत्तराधिकारी होने के संबध मे दस्तावेजात पेश कर दिये थे जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन नही कर अपील खारिज करने मे त्रुटि की है। जेरअपील निर्णय की नकल दिनांक 31.3.2015 को प्राप्त होने पर अपील पेश की गई अतः नकल प्राप्ति मे लगने वाला समय मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनाक 23.3.2013 अपास्त किया जाकर नामा0 सं0 1171 निरस्त कर दशरथ सिंह का फोती इंतकाल अपीलांट को सुन कर तस्दीक किये जाने हेतु रिमांण्ड किया जावे। विकल्प मे रेस्पो0 नं0 1 ता 4 के साथ अपीलांट के नाम इंतकाल तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। प्रकरण मे पक्ष प्रस्तुत करने हेतु रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर उनकी तामील पूर्ण मानी जाकर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी की प्रकरण मे एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी अपीलांट नं0 1 व 2 के पिता व अपीलांट नं0 3 के पुत्र स्व0 दशरथ सिंह हिस्सा 1/3 व बालचन्द लटूरलाल, माणकचंद 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड थी। दशरथ सिंह ने अपने जीवनकाल मे दो शादिया की थी प्रथम पत्नि विष्णुकंवर से अपीलांट नं0 1 व 2 पैदा हुये जो नाबालिग है। विष्णुकंवर के स्वर्गवास होने उपरांत दूसरा विवाह रेस्पो0 नं0 4 से किया जिससे रेस्पो0 नं0 1 ता 3 पैदा हुये जो भी नाबालिग है। दशरथ सिंह के अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पो0 कम 1 ता 4 वैध वारिसान व उत्तराधिकारी है किन्तु इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत घाटोली ने पहली पत्नी के बच्चो का नाम दर्ज नही कर केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 ता 4 के पक्ष मे मृतक दशरथसिंह का इंतकाल तस्दीक किया जो गलत है। प्रस्तुत प्रकरण मे दादा भी अपीलांट है। ग्राम पंचायत ने भूमि पर कब्जे की जांच नही की तथा ना ही वारिसान की समुचित जांच की। अधीनस्थ न्यायाालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड पर गौर नही कर जेरअपील आदेश पारित करने मे त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय एवं नामा0 सं0 1171 दिनांक 20.7.11 ग्राम पंचायत घाटोली निरस्त कर मृतक दशरथ सिंह के विधिक वारिसान की जांच कर विवादित आराजी का पुनः नामा0 तस्दीक करने हेतु रिमांड किया जावे।

4 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एक पक्षीय पर मनन किया। नामा0 सं0 1171 के अवलोकन से प्रथत दृष्टया स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1167 रकबा 0.01 एवं ख0 नं0 1168 रकबा 2.37 है0 ग्राम घाटोली मे दशरथसिह का हिस्सा 1/3 दर्ज है। नामान्तरकरण मे अंकित सजरा अनुसार खातेदार दशरथ सिंह की

मृत्यु उपरांत उसकी विरासत का फोती नामा0 रेस्पो0 कम 1 लगायत 4 के पक्ष मे ग्राम पंचायत घाटोली द्वारा तस्दीक किया गया है। जिसकी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रकरण मे अपीलांट मृतक दशरथ सिंह के विधिक वारिसान है अथवा नही यह तय नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्यक विवेचना उपरांत नामाान्तरकरण मे कोई विधिक त्रुटि होना प्रकट नही है व प्रमाणित नही है। प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का मुख्य तर्क है कि मृतक दशरथसिंह ने अपने जीवनकाल मे दो शादिया की थी। प्रथम पत्नि विष्णुकंवर से अपीलांट नं0 1 व 2 पैदा हुये जो नाबालिग है। विष्णुकंवर के स्वर्गवास होने उपरांत दूसरा विवाह रेस्पो0 नं0 4 से किया जिससे रेस्पो0 नं0 1 ता 3 पैदा हुये जो भी नाबालिग है। दशरथ सिंह के अपीलांट कम 1 व 2 तथा रेस्पो0 कम 1 ता 4 वैध वारिसान व उत्तराधिकारी है किन्तु इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत घाटोली ने पहली पत्नी के बच्चो का नाम दर्ज नही कर केवल मात्र रेस्पो0 नं0 1 ता 4 के पक्ष मे मृतक दशरथसिंह का इंतकाल तस्दीक किया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली मे उपलब्ध तथ्यो का समुचित परीक्षण नही किया। उक्त तथ्यो के परिपेख्य मे अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित नही है। अपीलांट के तर्क के संबध मे पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख आलौच्य निर्णय एवं नामा0 का अवलोकन किया। प्रकरण मे मुख्य विवादित मृतक दशरथ सिंह के विधिक वारिसान को लेकर है अपीलांट मृतक के विधिक वारिसान है अथवा नही यह परीक्षण न्यायालय द्वारा ही समुचित तथ्यो, साक्ष्य, दस्तावेजात आदि का परीक्षण कर ही तय किया जा सकता है ऐसी स्थिति मे प्रथम अपीलीय न्यायालय को अपीलांट द्वारा नामा0 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आलोच्य निर्णय से खारिज नही कर विधि अनुसार मृतक के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करना न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे समुचित तथ्यो का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर पत्रावली का अवलोकन कर जेरअपील निर्णय दिनांक 23.3.2015 पारित करने मे त्रुटि की है। उक्त विवेचन अनुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित नही पाते है। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 23.3.2015 एवं ग्राम पंचायत घाटोली द्वारा विवादित आराजी का तस्दीक किया गया नामा0 सं0 1171 दिनांक 20.7.2011 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगंजमण्डी को पक्षकारान को विधिवत सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर मृतक दशरथ सिंह के विधिक वारिसान की जांच कर विवादित आराजी का नामा0 पुनः तस्दीक किये जाने बावत प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

5 निर्णय आज दिनांक 7.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा